राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद :- 93/2018

1. महेश कुमार पुत्र श्री लालसिंह जाति अहीर निवासी अमरसर तहसील बुहाना, झुन्झुनूं

.........वादी

बनाम

1. विजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. निहाल सिंह
2. शारदा पत्नी स्व. निहाल सिंह
3. मुर्ति देवी पत्नी स्व. प्रभातीलाल

} जाति अहीर निवासीं अमरसर तहसील बुहाना,झुन्झुनूं

4. सुन्दरलाल
5. बिहारीलाल
6. विजयसिंह

} पुत्रान प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी अमरसर तहसील बुहाना,झुन्झुनूं

7. बड़ौदा क्षेत्रिय ग्रामिण बैंक शाखा बुहाना झुन्झुनूं राज
8. आंई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा ढाणा तहसील सिंघाना, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना।

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबत-खाता विभाजन

-:निर्णय:-

दिनांक :- 29-06-2022

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:-

1. वाके ग्राम अमरसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 8/1 रकबा 0.56 है., खसरा नम्बर 29/1 रकबा 1.21 है., खसरा नम्बर 50/2 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 93 रकबा 0.18 है., खसरा नम्बर 104/3 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 123/1 रकबा 1.39 है., खसरा नम्बर 147/3 रकबा 0.88 है., कुल किता 7 कुल रकबा 4.58 है. में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 लगायत 6 का 1/4 हिस्सा है वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 अपने अपने हिस्सा पर बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक काबिज कास्त है।
2. यह वाद वर्णित भूमि में वादी व प्रतिवादीगण का खाता संयुक्त रहने से वादी को अपने हिस्से की भूमि में सुधार कार्य करने में सीमाए कायम करने में भारी परेशानी हो रही है। जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
3. यह कि दावा के लिए आधार विवाद वाद वर्णित [illegible] का 1/2 हिस्सा होन व इसका खाता संयुक्त रहने व प्रतिवादीगण द्वारा सहमति से [illegible] नहीं करवाने से पैदा हुआ है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:27:56 IST
Reason: SelfAttested

अतः दावा अन्दर मियाद है। वैसी भी इस प्रकार के दावा के लिए कानून में कोई मियाद नहीं है।

4. यह कि रिहायस पक्षकारान व.वाद वर्णित भूमि ग्राम अमरसर, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान जी के अधिकार क्षेत्र में है।

5. यह कि वाद पत्र खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणात्मक रास्ता निर्धारित न्यायालय शुल्क 3 रूपये कोर्ट फिस पर पेश है।

वादी ने वाद–पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि–

(क). वाके ग्राम अमरसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 8/1 रकबा 0.56 है., खसरा नम्बर 29/1 रकबा 1.21 है., खसरा नम्बर 50/2 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 93 रकबा 0.18 है., खसरा नम्बर 104/3 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 123/1 रकबा 1.39 है., खसरा नम्बर 147/3 रकबा 0.88 है., कुल किता 7 कुल रकबा 4.58 है. भूमि मे वादी ाक खाता अलग से कायम करने व रास्ते आदि का प्रावधान करते हुए तथा लगान भी अलग से कायम करने की कृपा करे।

(2). दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

सभी प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल हुई। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 से श्री अशोक यादव एंडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब दावा पेश किया कि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 ने वादी के दावे को स्वीकर करते हुए वादी का दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

(3). वादी की ओर से दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्वत् 2072–75 नकल नक्शा ट्रेश, पेश किये गये।

(4). दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 17.06.2019 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 09.08.2019 को प्राप्त हुई ।

(5). बहस सुनी गई।

(6). पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। दावा खाता विभाजन का है। खाता विभाजन खातेदार का काश्तकारी अधिकार है। मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दावा डिक्री किया जाने योग्य है। अतः न्यायालय मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट वा[...] अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है तथा आदेशित किया जाता है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:27:56 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम अमरसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 8/1 रकबा 0.56 है., खसरा नम्बर 29/1 रकबा 1.21 है., खसरा नम्बर 50/2 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 93 रकबा 0.18 है., खसरा नम्बर 104/3 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 123/1 रकबा 1.39 है., खसरा नम्बर 147/3 रकबा 0.88 है., कुल किता 7 कुल रकबा 4.58 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत 2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव ''प्रदर्श अ–1 लगायत 2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ''अ–1 लगायत 2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 29-06-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:27:56 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारी:—

सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं:— 93/2018
निर्णय दिनांक :— 29—06—2022

महेश कुमार आदि **बनाम** विजेन्द्र आदि
दावा बाबत खाता विभाजन

वादीगण की ओर से **श्री मनु यादव एडवोकेट** की उपस्थिति मे व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6, ओर से **श्री अशोक यादव एडवोकेट** की उपस्थिती इस वाद में आज तारीख 29—06—2022 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि—

" न्यायालय वाद वादी डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम अमरसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 8/1 रकबा 0.56 है., खसरा नम्बर 29/1 रकबा 1.21 है., खसरा नम्बर 50/2 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 93 रकबा 0.18 है., खसरा नम्बर 104/3 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 123/1 रकबा 1.39 है., खसरा नम्बर 147/3 रकबा 0.88 है., कुल किता 7 कुल रकबा 4.58 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत 2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव "प्रदर्श अ—1 लगायत 2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग—अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग—अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ—1 लगायत 2" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे।"

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **29.06.2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:27:56 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,बुहाना